प्रेस पंजीयन एम.पी.एच.आई.एन./२०११/४८५६५

देश के हर नगर व ग्रामांचल में
दैनिक निर्दलीय
को प्रतिनिधि चाहिए
साहित्यिक,सांस्कृतिक व सामाजिक
अभिरुचि वालों को प्राथमिकता।
संपर्क करें-+91 8839797448/9424443401
निर्दलीय प्रकाशन
फ१९६/७ शिवाजी नगर, भोपाल ४६२ ०१६

निर्दलीय प्रकाशन का स्वर्ण जयंती वर्ष

निर्दलीय

संपर्क-फ-११६/७ शिवाजी नगर, भोपाल

निष्पक्षता, निर्वैरता व निर्भयता का दैनिक प्रवक्ता

ई-मेल: nirdaliyadaily@gmail.com,nirdaliya@rediffmail.com

दैनिक निर्दलीय
साप्ताहिक निर्दलीय
और मासिक निर्दलीय
अब तीनों स्वरूपों में वेबसाइट
www.nirdaliya.comपर उपलब्ध
विधि: पहले उक्त लिंक पर जाएं
फिर क्लिक करें
e-paper, इसके बाद दैनिक निर्दलीय जिस तारीख
का पढ़ना हो वह तारीख और पृष्ठ संख्या डालें।
साप्ताहिक हेतु weekly निर्दलीय
और मासिक हेतु Magazine निर्दलीय क्लिक करें
निर्दलीय एफ-११६/७ शिवाजी नगर, भोपाल-४६२०१६

वर्ष-५३/१५ अंक- ८५ भोपाल, ७ अक्टूबर, डाक ८ अक्टूबर २०२५ भोपाल व नई दिल्ली से प्रकाशित पृष्ठ -८ मूल्य १+१/-(संप्रेषण/स्वैच्छिक)

कट्टरपंथी दिलों में नफरत भरता है। बहाना धर्म या मजहब का लेता है।।

अग्र विचार
विचार प्रवाह-२९१

कैलाश आदमी

विश्व में प्रमुख रूप से चार विचार धाराएं चल रही हैं जिनमें लोक स्वराज्य आधारित विचारधारा प्रमुख है किंतु इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में वह स्थान नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। अन्य विचारधाराओं में साम्यवादी तंत्र और पूंजीवाद आधारित व्यवस्था को स्थान प्राप्त है वहीं इस्लामी देशों में मजहब आधारित राज व्यवस्था चल रही है तथा इन देशों में लोकतंत्र नहीं आ पाया है क्योंकि मजहब का लोकतंत्र जैसी खुली व्यवस्था से विरोध रहता है।

साम्यवादी विचारधारा मुख्य रूप से सोवियत संघ और चीन में प्रचलित रही किंतु सोवियत संघ में इसे सफलता नहीं मिली जिससे उसका पतन हुआ और सोवियत संघ में जिन १५ राष्ट्रों का विलय हुआ था वे अलग हो गए और मुख्य भूमि पर केवल रूस बचा जहां साम्यवाद अंतिम सांसें ले रहा है क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति श्री पुतिन तानाशाही को ही साम्यवाद मानकर चल रहे हैं। उधर चीन में कहने को साम्यवादी दल का शासन है किंतु इस देश में भी पूंजीवाद आकार ले रहा है। एक समय था जब साम्यवादी विचारक पूंजीवाद से नफरत करते थे किंतु उन्हें साम्यवादी व्यवस्था में पूंजीवाद को स्थान देना पड़ा। इसका कारण यह रहा कि यदि चीन के शासक पूंजीवाद को स्थान नहीं देते तो देश में अमेरिका में प्रचलित पूंजीवादी व्यवस्था हावी हो जाती।

इस्लामी देशों में कट्टरपंथी मजहब की आड़ में तानाशाही व्यवस्था चलती है। यहां तानाशाह मजहब को ही राज व्यवस्था का स्त्रोत मानते हैं और नागरिकों को मजहब के नाम पर बेवकूफ बनाकर राज करते हैं। भारत का बंटवारा भी धर्म और मजहब के नाम पर हुआ। बंटवारे में जो नया देश पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया उस विचारधारा के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सरपरस्त थे। उन्होंने पाकिस्तान का राष्ट्र प्रमुख बनने पर वहां भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करने की बात कही किंतु वे नागरिकों को तदनुरूप व्यवस्था देने से बचते रहे जिसका परिणाम यह हुआ कि वहां सैना हावी हो गई और वहां जिन्ना के बाद जितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने उन्हें सेना के प्रमुख ही हांकते रहे।

भारत ने अवश्य महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई तथा १५ अगस्त १९४७ को उनका स्वप्न साकार करने में गांधीजी के राजनीतिक उत्तराधिकारी पं. जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब अंबेडकर ने प्रमुख भूमिका निभाई। यद्यपि पं. नेहरू नहीं चाहते थे कि संविधान के निर्माण का काम डॉ. अंबेडकर को सौंपा जाए लेकिन गांधीजी ने डॉ. अंबेडकर को ही संविधान सभा में प्रमुख स्थान दिलाया और डॉ. अंबेडकर ने संविधान का निर्माण कर गांधीजी के सपनों को मूर्त रूप दिया। यद्यपि ३० जनवरी १९४८ को गांधीजी की हत्या हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से वैचारिक रूप से जुड़े कट्टरपंथी युवक नाथूराम गोडसे ने कर दी जिससे वे डॉ. अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों द्वारा बनाए जा रहे संविधान को नहीं देख सके लेकिन २६ जनवरी १९५० को देश में जो संविधान लागू किया गया उसमें गांधी प्रणीत विचारधारा को ही स्थान मिला है।

दुनिया में प्रचलित अन्य तीन विचारधाराओं के मध्य टकराव होता रहता है किंतु भारत में लोक स्वराज्य आधारित लोकतांत्रिक विचारधारा सफल रही है। यद्यपि हिंदुओं का कट्टरपंथी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू राष्ट्र की स्थापना का पक्षधर रहा है किंतु उसने जिस राजनीतिक संगठन को जन्म दिया उसमें भी विरोधाभास रहा है। शुरुआत में भारतीय जनसंघ बना किंतु १९७५ में आपातकाल लगा तब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भी बंदिश लगा दी गई किंतु संघ के जो स्वयं सेवक जनसंघ में काम कर रहे थे उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर आपातकाल के विरूद्ध आवाज उठाई तो उन्हें १९ माह तक जेल में रहना पड़ा किंतु जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाया और फिर चुनाव कराए तो इसका लाभ भारतीय जनसंघ के प्रत्याशियों ने उठाया। यद्यपि चुनाव में जनसंघ के प्रत्याशी जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर उतरे थे किंतु उन्हें सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण का भरपूर आशीर्वाद मिला। श्री जयप्रकाश नारायण पर यह आरोप लगा कि वे फासिस्टवादी संघ के मार्गदर्शक नानाजी देशमुख से मिलकर सर्वोदय के मूल सिद्धांतों के विरूद्ध जा रहे हैं किंतु जयप्रकाशजी का कहना था कि यदि संघ फासिस्टवादी है तो वे भी फासिस्टवादी कहे जा सकते हैं। वस्तुतः संघ लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता और इसीलिए उसे फासिस्टवादी कहा जा सकता है। संघ का अपना कोई संविधान नहीं है तथा उसके प्रमुख का चयन स्वयंसेवक मतदान द्वारा नहीं करते बल्कि चयन गिने-चुने व्यक्ति करते हैं अथवा संघ प्रमुख स्वयं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। इसके संस्थापक डॉ. बलिराम हेडगेवार ने स्वयं को सरसंघ चालक घोषित किया था और उन्होंने अपने निधन के पूर्व श्री माधव सदाशिव गोलवलकर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था।

डॉ. हेडगेवार की मृत्यु २१ जून १९४० को हुई तथा श्री गोलवलकर ने ३ जुलाई को कार्यभार संभाला था। ३० जनवरी १९४८ को गांधीजी की हत्या के बाद गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने संघ पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया कि यह संगठन समाज में घृणा, नफरत और हिंसा फैलाता है जिसके कारण गांधीजी की हत्या हुई। इसके पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में भी वर्ष १९४० में संघ के पथ संचलन और गणवेश पर बंदिश लगा दी गई थी। संघ पर तीसरी बार बंदिश आपातकाल के दौरान ४ जुलाई १९७५ को लगी जो २२ मार्च १९७७ तक जारी रही। चौथीबार बाबरी मस्जिद विध्वंस में संघ की भूमिका को लेकर १० दिसंबर १९९२ को बंदिश लगाई गई जो ४ जून १९९३ तक जारी रही। संघ ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी भी यह प्रचार करते हैं कि हेडगेवार स्वाधीनता आंदोलन में जेल गए थे जबकि हेडगेवार संघ प्रणीत जंगल सत्याग्रह में बंदी बनाए गए थे ना कि गांधी प्रणीत असहयोग आंदोलन में।

अंत में मेरी दो काव्य पंक्तियां-

कट्टरपंथी दिलों में नफरत भरता है।
बहाना धर्म या मजहब का लेता है।।

समाज में व्याप्त गुणों का समग्र रूप है संस्कृति

सूफिया ज़ैदी

संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र रूप का नाम है,जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने, खाने-पीने,बोलने, साहित्य कला आदि में परिलक्षित होती है।

संस्कृति का वर्तमान रूप किसी समाज के दीर्घ काल तक अपनाई गई पद्दतियों का परिणाम है। संस्कृति का शब्दार्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है।यह बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर प्राकृतिक परिस्थिति को निरंतर सुधारता और उन्नत करता रहता है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्दति रीति-रिवाज रहन-सहन आचार विचार जिनसे मनुष्य पशुओं और जंगलियों के दर्जे से ऊँचा उठता है तथा सभ्य बनता है, सभ्यता और संस्कृति का अंग है।

सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है जबकि संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके ही संतुष्ट नहीं होता। वह भोजन से ही नहीं जीता। शरीर के साथ मन और आत्मा भी हैं। भौतिक उन्नति से शरीर की भूख मिट सकती है,किन्तु इसके बावजूद मन और आत्मा तो प्यासे ही रहते हैं। इन्हे संतुष्ट करने के लिए मनुष्य अपना जो विकास और उन्नति करता है उसे संस्कृति कहते हैं। मनुष्य की जिज्ञासा का परिणाम धर्म और दर्शन होते हैं। सौंदर्य की खोज करते हुए संगीत,साहित्य,मूर्ति,चित्र आदि संघटनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्यक कृति,संस्कृति का अंग बनती हैं।इनमें प्रधान रूप से धर्म दर्शन सभी ज्ञान विज्ञान और कलाओं सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं और प्रथाओं का समावेश होता है।

संस्कृति जीवन की विधि है जो भोजन हम खाते हैं,जो कपड़े पहनते हैं,जो भाषा बोलते हैं और जिस भगवान की पूजा करते हैं ये सभी सभ्यता कहलाते हैं। तथापि इनसे संस्कृति भी सूचित होती है।

जहां तक पुस्तक संस्कृति का सवाल है इसका क्षरण हो रहा है। कृत्रिम बुद्धि और गुगल गुरु ने इस संस्कृति पर विपरीत प्रभाव डाला है।

सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। इसमें वे भाव और विचार भी सम्मिलित हैं जो हमने एक परिवार और समाज के सदस्य होने के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त किये।

संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में हमारी अन्तःस्थ प्रकृति की अभिव्यक्त है। यह हमारे साहित्य में,धार्मिक कार्य में मनोरंजन और आनंद प्राप्त करने के तरीक़ों में भी देखी जा सकती है। संस्कृति के दो भिन्न उप विभाग कहे जा सकते हैं। भौतिक और अभौतिक।

भौतिक संस्कृति उन विषयों से जुड़ी है जो हमारी सभ्यता कहलाते हैं और हमारे जीवन के भौतिक पक्षों से सम्बद्द होते हैं जैसे हमारी वेशभूषा,भोजन घरेलू सामान आदि।अभौतिक संस्कृति का संबंध विचारों आदर्शों भावनाओं और विश्वासों से है।

संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। इसका विकास एक सामाजिक अथवा राष्ट्रीय संदर्भ में होने वाली एतिहासिक तथा ज्ञान सम्बंधी प्रक्रिया व प्रगति पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए हमारे अभिवादन की विधियों में,हमारे वस्त्रों में,खाने की आदतों में,पारिवारिक संबंधों में सामजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों और मान्यताओं में भिन्नता है।सच कहें तो किसी भी देश के लोग अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा ही पहचाने जाते हैं।

संस्कृति यद्यपि किसी देश या कालविशेष की उपज नही होती,ये एक शाश्वत प्रक्रिया है,तथापि किसी क्षेत्रविशेष में किसी काल में इसका जो स्वरूप प्रकट होता है,उसे एक विशिष्ट नाम से परिभाषित किया जाता है।

मध्ययुगीन संस्कृति,भौतिक संस्कृति,पाश्चात्य संस्कृति,हिन्दू संस्कृति तथा मुगल संस्कृति आदि की संज्ञाएं इसी आधार पर प्रदान की गई हैं।विशिष्ट अभिधान संस्कृति के विशिष्ट स्वरूपबोध के साथ इस तथ्य को उजागर करता है कि संस्कृति को विशेषण प्रदान करने वाले कारक द्वारा संस्कृति का सहज स्वरूप अनिवार्यतः प्रभावित हुआ है

-सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)

लद्दाख की लहर: स्वायत्तता मांगते सोनम वांगचुक

छह साल पहले धारा 370 के हटने और लद्दाख को 'केन्द्र शासित प्रदेश' बनाए जाने से जो लोग मोदी सरकार के गुण गा रहे थे, वे अब अचानक उसी मोदी सरकार की नाराजी का शिकार बन रहे हैं। ध्यान से देखें तो केन्द्र सरकार का यह व्यवहार लद्दाख की प्राकृतिक सम्पदा को बेचकर पूंजी बटोरने और उसे अपने चंद मित्र पूंजीपतियों को सौंप देने की मानी-पहचानी हवस की ही बानगी है, जिसमें सोनम वांगचुक की अगुआई में वहां के स्थानीय लोग अडंगा डाल रहे हैं। क्या है, यह पूरा मामला? प्रस्तुत है, 'सप्रेस' के आग्रह पर लद्दाख से लौटीं डॉ. गुंजन सिंह का लिखा यह लेख।

२६ सितंबर २०२५ को लद्दाख के मशहूर जलवायु कार्यकर्ता, इंजीनियर और 'रैमन मैग्सेसे पुरस्कार' विजेता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने पूरे भारत में हलचल मचा दी है। लेह पुलिस ने उन्हें 'राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम' (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया और जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। उन पर भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने का आरोप है, जिसे उन्होंने पूरी तरह खारिज किया, यह कहते हुए कि उनकी मांगें शांतिपूर्ण और संवैधानिक हैं। यह गिरफ्तारी 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसक झड़पों के बाद हुई, जिसमें स्वायत्तता और अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान चार लोग मारे गए और 90 से अधिक घायल हुए।

लद्दाख में तनाव चरम पर है। लेह में कर्फ्यू लागू है, इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं और स्कूल बंद हैं। लद्दाख पुलिस के 'डीजीपी' का कहना है कि वांगचुक की पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से कथित संपर्क की जांच चल रही है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दिए गए। सोनम की पत्नी डॉ. गीतांजलि जे. अंगमो ने बताया कि बिना कोई स्पष्ट जानकारी दिए उनके घर की तलाशी ली गई। कांग्रेस, 'आप' और 'सीपीआई(एम) जैसे विपक्षी दलों ने न्यायिक जांच और तत्काल रिहाई की मांग की। सोशल मीडिया पर 'फीसोनमवांगचुक' ट्रेंड कर रहा है और लेह-कारगिल में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, हालांकि पुलिस की भारी तैनाती ने इन्हें दबाने की कोशिश की है।

यह दमन २०१९ में अनुच्छेद ३७० के निरस्त होने के बाद से बढ़ते तनाव का हिस्सा है, जब लद्दाख को बिना विधानसभा वाला 'केंद्र शासित प्रदेश' बनाया गया था। वांगचुक की गिरफ्तारी उनकी पांचवीं भूख हड़ताल के बाद हुई, जो १० सितंबर से शुरू हुई थी और ३५ दिन चलने वाली थी। हिंसा के बाद उन्होंने शांति की अपील करते हुए इसे वापस लिया। उनकी संस्था 'स्टूडेन्ट्स एजूकेशनल एण्ड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख' (सेकमोल) का 'एफसीआरए' पंजीकरण रद्द हुआ, और 'हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग' (हियाल) का पट्टा रद्द कर दिया गया। 'सीबीआई' जांच और राजद्रोह की अफवाहें उनकी आवाज को दबाने की रणनीति मानी जा रही हैं। सरकारी पक्ष और कुछ मीडिया उन्हें 'विदेशी ताकतों से समर्थित' बता रहे हैं, लेकिन इन आरोपों का कोई सबूत नहीं है।

२६ अगस्त २०२४ को घोषित पांच नए जिलों (शम, नुब्रा, चांगथांग, जांस्कर, द्रास) को चुनावी चाल माना जा रहा है। ये जिले ४० हजार एकड़ के प्रस्तावित सौर-पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देंगे, जो चारागाहों और ग्लेशियरों को नष्ट कर सकते हैं। भारत-जापान सौर-सौदा और खनन परियोजनाएं (ग्रेनाइट, चूना-पत्थर, यूरेनियम) कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण और आजीविका खतरे में है। लेह (बौद्ध-प्रधान) और कारगिल (मुस्लिम-प्रधान) की धार्मिक एकता (२०२२ में बौद्ध मठ के लिए शिया मुस्लिमों द्वारा जमीन दान) सरकार की बांटने की कोशिशों को नाकाम कर रही है। यह एकता लद्दाख के आंदोलन को मजबूती देती है, लेकिन सरकार इसे खतरे के रूप में देख रही है।

स्वायत्तता की मांग- तीन लाख आबादी और ९७-९९ प्रतिशत जनजातीय समुदाय वाले लद्दाख का आंदोलन 'लेह एपेक्स बॉडी' (एलएबी) और 'कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस' (केडीए) के नेतृत्व में है। आंदोलन चार प्रमुख मांगों पर आधारित है -

'छठी अनुसूची' - यह जमीन, जंगल, पानी और खनन पर स्थानीय नियंत्रण देगी, जैसा पूर्वोत्तर भारत में है। भाजपा ने २०१९ और २०२० के अपने घोषणापत्रों में इसका वादा भी किया था, लेकिन अब कॉर्पोरेट हितों (खनन और सौर-परियोजनाएं) को प्राथमिकता दी जा रही है, जो स्थानीय संसाधनों का शोषण कर रहे हैं।

पूर्ण राज्य का दर्जा और विधानसभा- वर्तमान में सारी शक्ति केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के पास है। 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों' (एलएएचडीसी) को ६,००० करोड़ रुपये के बजट में से केवल ६०० करोड़ मिलते हैं, जो लोकतंत्र को कमजोर करता है।

'लोक सेवा आयोग' (पीएससी)- पिछले छह साल से कोई नई भर्ती नहीं हुई। बाहरी लोग प्रशासन पर हावी हैं, जिससे स्थानीय बेरोजगारी बढ़ी है। जम्मू, श्रीनगर और चंडीगढ़ के ठेकेदार बाजार पर कब्जा किए हुए हैं।

दो लोकसभा सीटें- लेह और कारगिल की अलग-अलग सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतों के लिए। सरकार ने इसे २०२६ तक सीटों पर रोक का हवाला देकर खारिज किया, जिसे आबादी में हेरफेर की चाल माना जा रहा है। ये मांगें भारत के संविधान से जुड़ी हैं, जो जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है। सरकार का इन मांगों को नजरअंदाज करना और कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देना न केवल लद्दाख की पहचान को खतरे में डालता है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अशांति को बढ़ावा देता है।

'मार्टर्स पार्क' (शहीद पार्क) में सोनम वांगचुक का ३५-दिवसीय शांतिपूर्ण उपवास, जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था, प्रेरक है। उनकी दृढ़ता और स्थानीय लोगों का समर्थन आंदोलन की गहराई दर्शाता है। 'पांगोंग त्सो' की नीली झील और 'रेजांग ला मेमोरियल,' जहां १९६२ में मेजर शैतान सिंह और १२० सैनिकों ने शहादत दी थी, से लद्दाख का सामरिक महत्व उजागर होता है।

पर्यावरणीय संकट और सुरक्षा- लद्दाख, जिसे 'एशिया का जल मीनार' कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित है। ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना जल संकट पैदा कर रहा है, जो जौ और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों को प्रभावित कर रहा है। २०२२ में ४.५ लाख पर्यटकों ने संसाधनों पर भारी दबाव डाला, जिससे कचरा और प्रदूषण बढ़ा। सौर पार्क और खनन जैसे प्रोजेक्ट्स, विशेष रूप से ४०,००० एकड़ का प्रस्तावित सौर पार्क, चरागाहों और ग्लेशियरों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे आबादी और नाजुक पारिस्थितिकी खतरे में है। भूमि कानूनों में बदलाव, जैसे 'नौटोर प्रथा' का उपायुक्त के नियंत्रण में जाना, बाहरी लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। इससे स्थानीय लोग अपनी जमीन और पहचान खो रहे हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लद्दाख महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोग सेना को भोजन, मार्ग और अन्य सहयोग प्रदान करते हैं। पूर्व विधान परिषद सदस्य छेरिंग डोरजे ने चेतावनी दी कि सीमावर्ती गांवों में असंतोष रक्षा को कमजोर करेगा। सरकार का दमनकारी रवैया और कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देना इस सहयोग को खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान को अधिक स्वायत्तता मिल रही है, जबकि लद्दाख अपने अधिकार खो रहा है, जो भारत के संघीय ढांचे में असमानता को दर्शाता है।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर सीधा हमला है। एक शांतिप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणवादी को दमनकारी तरीके से निशाना बनाना केवल व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उन संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार है जिन पर भारतीय लोकतंत्र टिका हुआ है। 'एनएसए' जैसे कठोर कानून का इस्तेमाल करना, बिना ठोस सबूत के विदेशी संपर्कों का आरोप लगाना और उनकी संस्थाओं को जांच और कार्रवाई के घेरे में लेना इस बात का संकेत है कि सरकार जनांदोलनों को दबाने के लिए आपातकालीन रणनीतियों का सहारा ले रही है।

लद्दाख की मांगें सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि पूरी तरह संवैधानिक और जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा से जुड़ी हैं। सरकार ने इन वादों को स्वीकार किया था, इसलिए अब उसका दायित्व है कि इन्हें पूरा करे और स्थानीय जनता के साथ ईमानदार व खुली बातचीत की प्रक्रिया शुरू करे। लद्दाख के एक शांतिपूर्ण और रचनात्मक आंदोलन का इस तरह हिंसक टकराव में बदलना केवल लद्दाख ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए खतरे का संकेत है। दमन की राजनीति अलगाव को जन्म देती है, जो अंततः राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और संघीय ढाँचे को कमजोर करता है। लद्दाख का यह संघर्ष भारत के लोकतंत्र की आत्मा का प्रतीक है, जहाँ हाशिए पर खड़े समुदायों की आवाज़ सुनना और उसका सम्मान करना अनिवार्य है। (सप्रेस)